

के राजेश्वराम फॉर्म में जमा है, जिसके साथ प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। शरणाग्र गांव में जमापत्र जारी प्रमाण पत्र के अंतर्गत भी राजेश्वराम की छाप है। इसी प्रकार उसके कोई न्यायिक तथ्य भी। यह तीन भागों में

उत्तरांचल के भी अपने जवाब में कथन किया है कि जमीन रकबा 869 रकबा 2.60 है। खेत के खेतदार जलत दर्ज हुआ है। और खेतदारी के खेतदारी दिष्टे जाने की आशंका की गई है।

उपर्युक्त विवेचन के राजेश्वर लोक अदालत की भावना को मध्यम अंतर रखते

हुए बाद वादीगण सिद्धि किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः बाद वादीगण सिद्धि किया जाता है।

हाल धाराजी रकबा 597 रकबा 2.60 है। और जोके ग्राम केचरावता तहसील उत्तरांचल का खेतदार

कार्यकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उत्तरांचल को इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड को सुरक्षित करने के आदेश दिष्टे जाते हैं। पंचा सिद्धि जारी है। परिणत

रकबा अपना-अपना वही पत्रावली फॉर्मल नुम्बर होकर तम्बर के कथ है तथा दफ्तर दाखिल है।

उप खण्ड अधिकारी
उत्तरांचल जिला दौक